

240

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०सं०-१०/१२

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क०० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, याँत्रिक राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : २१-३-१३

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड ४९P470180796460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	२	३	४	५
1.	४९-जल संसाधन विभाग/ ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०-सामान्य	७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण ४९P470180796460543	- ३.४२

शुद्ध आवंटित राशि - ऋणात्मक ₹ तीन लाख बेयालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६५०.०० लाख (छ: करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.०) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-१, में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
- आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभियो)

(सुबोद्ध कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियो)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

240

रॉची, दिनांक :—

21-3-13

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

240

रॉची, दिनांक :—

21-3-13

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा—7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :— यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)

उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

मांग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य

लघु शीर्ष-७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना,

उप शीर्ष-४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्शर्थापन।

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

विपत्र कोड- ४९P470180796460543

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट उपबंध रु. ६५०.०० लाख मात्र।

राशि (लाख ₹ में)

क्र. संख्या	प्रमाणित का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक		कार्य का विवरण	मार्च २०१२ तक का व्यय	वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आवंटन				
				राशि	प्रसंग			पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध अतिरिक्त आवंटन	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	रांची रांची यांत्रिक प्रमण्डल, संचार्ज संचार्ज	रांची रांची यांत्रिक प्रमण्डल, संचार्ज संचार्ज	राज्य के अन्तर्गत सिंचाई मध्यम सिंचाई योजनाओं का सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णाकित कार्य-	४९८.४६	३१.०२.२०१२	१ Renovation of Gate of Buchha Oppa R. Scheme	०.००	२.५०	२.५०	०.००	-२.५०	०.००
२						2 Repair of Gate of Vijay Weir	०.००	३.००	०.००	०.००	०.००	३.००
३						3 Repair of Gate of Sonua Weir	०.००	४.००	०.००	०.००	०.००	४.००
४						4 Repair of Gate of Putungna Weir	०.००	३.५०	०.००	३.९९	३.९९	७.४९
५						5 Repair of Gate of Torlo Weir	०.००	४.००	०.००	३.४२	३.४२	७.४२
६						6 Renovation of Gate of Torlo Reservoir	०.००	१४.००	०.००	०.८०	०.८०	१४.८०
७						7 Repair of Gate of Chinda R. Scheme	०.००	४.५०	४.५०	०.००	-४.५०	०.००
८						8 Repair of Gate of Kansjore R. Scheme	०.००	४.००	४.००	०.००	-४.००	०.००
९						9 Repair of Gate of Brahnni Weir Scheme	०.००	४.५०	०.६३	०.००	-०.६३	३.८७
						घोगा	०.००	४४.००	११.६३	८.२१	-३.४२	४०.५८
शुद्ध आवंटित राशि - जैवानिक ₹ तीन लाख बेशतीस हजार मात्र।												

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभियंता)

(बी. सी. निगम)

तिशेष सचिव

(एस० कै० शतपथी)

प्रधान सचिव।